हलाल सर्टिफिकेट

1- शरीअत में हलाल व हराम से संबंधित स्पष्ट आदेश मौजूद हैं, उन पर अमल करना हर मुसलमान का कर्तव्य है। और इससे बेपरवाई न केवल सख्त गुनाह है बल्कि हदीसों से मालूम होता है कि इस कारण इन्सान की दूसरी नेकियां भी नष्ट हो जाती हैं इस लिए मुसलममानों को इस बारे में बड़ी भारी सावधानी बरतनी चाहिए और जो मुसलमान संस्थान हलाल सर्टिफिकेअ जारी करते हैं वे पूरी जांच पड़ताल के साथ अपनी ज़िम्मेदारी को निभाएं।

2- मांसाहारी खाद्य वस्तुओं का इस्तेमाल करना जायज़ है बशर्तेकि जानवर का हलाल होना और शरअी तरीक़े पर ज़बह किया जाना साबित हो जाए।

3- जिन वस्तुओं में हराम अंशों का इस्तेमाल भी किया जाता है उनके लिए हलाल सर्टिफिकेट जारी करने का अधिकार केवल शरअी आदेशों के जानकार और कलात्मक महारत रखने वाले दीनदार, भरोसेमन्द लोगों ही को होगा। किसी ग़ैर मुस्लिम या अपरिचित की पुष्टि व ख़बर का कोई भरोसा नहीं है।

4- खाद्य वस्तुओं के अंशों की जांच के लिए मुसलमानों को स्वयं अपनी प्रयोगशाला का प्रबन्ध करना चाहिए लेकिन अपनी प्रयोगशाला न होने की सूरत में ग़ैर मुस्लिमों के तत्वाधान में काम करने वाली भरोसेमन्द प्रयोगशाला की रिपोर्ट पर भी भरोसा करके सर्टिफिकेट जारी करने की गुंजाइश है लेकिन यथा सामर्थ्य इस बात की कोशिश होनी चाहिए कि जांच व विशलेषण की यह क्रिया किसी भरोसेमन्द मुसलमान व्यक्ति की निगरानी में हो।

5- हलाल सर्टिफिकेट जारी करना बड़ी ज़िम्मेदारी का काम है। यह काम वही संस्थान पूरा कर सकता है जिसमें ईश भय, शरीअत के आदेशों पर गहरी नज़र रखने वाले उलमा व इफ़ता वाले लोगों और भरोसेमन्द मुसलमान माहिरों पर आधारित हों और इस संस्थान के प्रतिनिधि ज़बह आदि के चरण के दौरान मौजूद रह कर पूरी जांच के बाद सर्टिफिकेअ जारी करें और निरंतर निगरानी रखें।

☆☆☆